न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 126/2022   निर्णय दिनांक 05.12.2022
ऑनलाईन नंबर 2022/260

सोनूदेवी उर्फ सन्जूदेवी पत्नी संजयकुमार जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

—वादिनी—

बनाम

1. सुमितादेवी उर्फ सुनितादेवी पत्नी मनोजकुमार जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. सत्यनारायण पुत्र केशरदेव जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. राजन जांगिड़ पुत्र सत्यनारायण जांगिड़ जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. सपना जांगिड़ पत्नी राजन जांगिड़ जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. मन्जूदेवी पत्नी रामबाबू जाति अग्रवाल निवासी सरदारशहर जिला चूरू
6. अयोध्या पत्नी बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी रतनगढ़ जिला चूरू
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. **श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादीनी**
2. **श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1**

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए संपठित धारा 136 एलआरएक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 122 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 17.4100 हैक्टेयर रोही आडसर में स्थित है। जिसमें से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.08.2011 को खातेदार जसवन्त ग्रेवाल पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी नंगली जालिब बी—1 जनकपुरी, नई दिल्ली से वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उसके 1/3 हिस्सा बहिब हिस्सा खरीद किया था। यह है कि खरीद के समय से ही वादिनी का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त कायम है वादिनी ने दिनांक 07.09.2022 को जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो वादिनी को ज्ञात हुआ कि उक्त खसरानों में वादिनी का नाम ही नहीं है एवं वादिनी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है। वादिनी ने विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण की नकले निकलवाई तो नामान्तरण संख्या 209 दिनांक 20.09.2011 में सिर्फ सुमिता उर्फ सुनितादेवी पत्नी मनोजकुमार का 1/3 हिस्सा में नामान्तरण दर्ज हुआ है जबकि विक्रय—पत्र के अनुसार वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बहिब हिस्सा में नामान्तरण दर्ज होना था। जबकि वादिनी का हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। वादी एवं प्रतिवादी के विक्रय पत्र के अनुसार ही कब्जा काश्त है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने विक्रय पत्र के विपरीत वादगत खेतों में नाम दर्ज कर दिया है जबकि वादी एवं प्रतिवादी के खेतों के विक्रय पत्र का नामान्तरण बिना जांच किये ही नामान्तरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादी [illegible] 1 के नाम दर्ज कर दिया राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम [illegible] हि[illegible] दर्ज कर दिया जिसको वादिनी विक्रय पत्र के आधार पर अपने [illegible] की अधिकारिनी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो बहुत ही होशियार है जो राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों [illegible] दर्ज किये गए गलत राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर वादी को उनके कब्जे [illegible] से बेदखल करने एवं वादिनी का हिस्सा विक्रय कर[illegible] की कोशिश कर रहे है वादिनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.03 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

Divya
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार नाम दर्ज करवाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादिनी को ऐलानियां धमकिया दी है कि तहसीलदार एवं पटवारी से हम आपको यहां से बेदखल करवाकर इस जमीन पर कब्जा करके ही रहेंगे। वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त रूप से वादगत खेतों के 1/3 हिस्से को खरीद किया है खरीद के अनुसार ही कब्जा काश्त कायम है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी के हिस्से को विक्रय कर कब्जे से बेदखल कर वादिनी के खेत में कब्जा करना चाहते हैं। यह है कि दिनांक 09.09.2022 को प्रतिवादी वादी के उक्त खेत पर गये ओर कहा कि जमीन हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है उक्त भूमि को विक्रय कर कब्जा काश्त से तुम्हें बेदखल करके ही रहेंगे। वादिनी को प्रतिवादी के द्वारा दी गई धमकी की दिनांक से वाद हेतु हासिल है। वादिनी ने वादगत खेत के 1/6 हिस्से को जरिये विक्रय पत्र खरीद किया है वादिनी के हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा पर कब्जा करना चाहते है। जिनको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 09.09.2022 को सहमति से विवाद को सुलझाने हेतु निवेदन किया तब प्रतिवादी ने वादी की बात को मानने से इनकार कर दिया प्रतिवादी द्वारा दिनांक 09.09.2022 इनकारी से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। यह है कि प्रतिवादी वादी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग से इनकार कर रहे हैं वादी को अपने खेत से बेदखल करने पर एवं वादी के हिस्से से बेदखल करने पर आमन्दा हो रहे तथा वादी का कब्जा छुड़ाने की धमकियां दे रहे हैं इसलिए वादी द्वारा अपने हितों एवं भूमि की रक्षार्थ प्रतिवादी के विरूद्ध रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 जो कि लेण्ड होल्डर है जिनके विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस का प्रावधान है लेकिन उक्त दावा अत्यन्त ही अर्जेन्ट नेचर का है प्रतिवादी वादी के हिस्से पर कब्जा करने की फिराक में हैं अगर दो माह का नोटिस दिया जाकर इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी अपने गलत मकसद में सफल हो जायेंगे एवं वादी के दावे का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए जाब्ता दीवानी की धारा 80(1) सीपीसी के नोटिस मियादी दो माह की छूट हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र से अनुमति प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे :–

(क) कि वादिनी को खसरा नम्बर 122 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 17.4100 हैक्टेयर रोही आडसर में से विक्रय पत्र के अनुसार 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावें कि वो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 122 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 17.4100 हैक्टेयर रोही आडसर राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय पत्र के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करें।

(ग) कि प्रतिवादी को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खसरा नम्बर 122 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 0.0200 है[illegible] नम्बर 125 तादादी 17.4100 हैक्टेयर रोही आडसर तहसील श्रीडूं[illegible]का एवं कब्जा काश्त के आधार पर वादी के हकुकों तथा कब्जा काश्त [illegible] खलल बैंजा नहीं करें ना करावे। ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य [illegible] ना ही किसी अन्य से करावें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो। दौराने दावा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.03 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश कर प्रतिवादीगण 2 ता 6 के हिस्से में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का नाम डिलीट किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का नाम डिलीट किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादिनी एवं प्रतिवादीनी को जरिये राजीनामें वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादिनी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

वादिनी को खसरा नम्बर 122 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 17.4100 हैक्टेयर रोही आडसर में से विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सम्पूर्ण रकबा का 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.03 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिमडिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

1. सोनूदेवी उर्फ सन्जूदेवी पत्नी संजयकुमार जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

बनाम

1. सुमितादेवी उर्फ सुनितादेवी पत्नी मनोजकुमार जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. सत्यनारायण पुत्र केशरदेव जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. राजन जांगिड़ पुत्र सत्यनारायण जांगिड़ जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. सपना जांगिड़ पत्नी राजन जांगिड़ जाति सुथार निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. मन्जूदेवी पत्नी रामबाबू जाति अग्रवाल निवासी सरदारशहर जिला चूरू
6. अयोध्या पत्नी बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी रतनगढ़ जिला चूरू
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, चिरनिषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बरः 126/2022
निर्णय दिनांक 05.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूब्रू अदालत बहाजरी वादी की ओर से राजूराम बाना अधिवक्ता एवं प्रतिवादी की ओर से राजाराम नैण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिनी को खसरा नम्बर 122 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 17.4100 हैक्टेयर रोही आडसर में से विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सम्पूर्ण रकबा का 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।
लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0..... फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 05 माह 12 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	100	यो	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.03 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ